समाहरणालय, खगड़िया
निर्वाचन शाखा
आम सूचना

बिहार विधान सभा आम चुनाव, 2015 के अवसर पर खगड़िया जिला के सभी विधान सभा क्षेत्र का मतदान दिनांक 12.10.2015 को निर्धारित है तथा मतों की मतगणना कार्य दिनांक 08.11.2015 को निर्धारित है। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना के **पत्रांक बी01–3–81/2015–5182, दिनांक 22.09.2015** द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ग) के अनुपालन हेतु मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति के समय तक एवं मतगणना के दिन सभी विधान सभा क्षेत्र में सभी प्रकार के शराब के बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया गया है।

अतः उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना के **पत्रांक बी01–3–81/2015–5182, दिनांक 22.09.2015** के आलोक में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ग) एवं बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा 26 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **मैं साकेत कुमार, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, खगड़िया** आदेश देता हूँ खगड़िया जिला के सभी चारों विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों यथा :148–अलौली (अ0जा0) एवं 150–बेलदौर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में दिनांक 10.10.2015 के अपराह्न 04.00 बजे से दिनांक 12.10.2015 के मतदान की समाप्ति तक एवं 149–खगड़िया एवं 151–परबत्ता विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में दिनांक 10.10.2015 के अपराह्न 05.00 बजे से दिनांक 12.10.2015 को मतदान समाप्ति तक के लिए तथा पुर्नमतदान हो तो उस तिथि को भी एवं मतगणना की तिथि दिनांक 08.11.2015 को देशी, विदेशी, मसालेदार देशी शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। उक्त तिथियों को **"शुष्क दिवस"** रहेगा।

उक्त अवधि में खगड़िया जिला के सभी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत किसी होटल, भोजन–पाकशाला, दुकान में अथवा किसी अन्य लोक या प्राईवेट स्थान में कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति की अन्य पदार्थ न तो संग्रहित किया जायेगा, न तो विक्रय किया जायेगा, न दिया जायेगा और न वितरित किया जायेगा।

उक्त अवधि में किसी व्यक्ति द्वारा मादक पदार्थ के भंडारण की सीमा में भी उत्पाद नियमों के अधीन कटौती की जायेगी।

इस आदेश की अवहेलना के लिए दोषी व्यक्तियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ग) (2) (3) एवं उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत दंडित करने की कार्रवाई की जायेगी।

ह0/–

जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
खगड़िया

ज्ञापांक : 1730 / निर्वा0, दिनांक : 9/10/15

प्रतिलिपि : निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त आम सूचना को बिहार से छपने वाली सभी हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट किया जाय।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना से संपर्क स्थापित कर आम सूचना को प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि उक्त आम सूचना को जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
खगड़िया